बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019 – 6135 /पटना, दिनांक– 20/11/19

प्रेषक,

संजय दूबे , भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL. No	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Chakia	Chakia	Chintamanpur Bazar to Khairimal	7.900	178.50600	113.85700	17.85060	310.21360
2	Chakia	Chakia	NH 28 Piprakothi Gopalganj to Harrpur Nunia Tola	1.000	24.91900	8.67400	2.49190	36.08490
3	Chakia	Chakia	NH 28 Vatganj Chowk to Ramgarh Mahauawa via Vatgan	1.510	36.82700	12.92300	3.68270	53.43270
4	Chakia	Kalyanpur	R.E.O. Road to Bhakhri	2.069	45.45900	30.99100	4.54590	80.99590
5	Chakia	Kalyanpur	Koila Belwa road Ramdiha chowk via Pokhariya	1.580	35.52200	13.58500	3.55220	52.65920
6	Chakia	Kalyanpur	Puran Chapra to Koergawan	2.000	42.63500	16.10100	4.26350	62.99950
7	Chakia	Kalyanpur	Ramdiha to Koila Belwa	0.560	8.97600	3.94900	0.89760	13.82260
8	Chakia	Kalyanpur	Siswa Sobh to Meghwa	2.500	54.30700	36.19900	5.43070	95.93670
9	Chakia	Kalyanpur	Ashok Siswa To Bahlolpur	2.200	52.88400	31.73300	5.28840	89.90540
10	Chakia	kalyanpur	Bash Ghat To SC Tola or Paswan Tola	1.400	64.35400	17.18300	6.43540	87.97240
11	Chakia	Kalyanpur	Danimath to Dasandha Pul Road	8.200	211.29500	116.58400	21.12950	349.00850
12	Chakia	Mehsi	Purani Mehsi To Motnata Village (Barharba)	1.013	22.44500	14.60000	2.24450	39.28950
13	Chakia	Mehsi	Bahadurpur Chowk to Kataha	2.000	53.62800	28.62200-	5.36280	87.61280
Total				**33.932**	**831.75700**	**445.00100**	**83.17570**	**1359.93370**

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

18/11/19

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, चकिया** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विश्ष्टिताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBDआधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **01.06.2019** एवं **5.09.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 13.11.19. को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

18/11/19.

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–**मु0अ0–4(मु0)–3054 04–82/2019** के पृ0– 26 /टि0 पर दिनांक– 18.11.19, को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18/11/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019 - 6135 /पटना, दिनांक– 20/11/19

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/19

अपर सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–82/2019 - 6135 /पटना, दिनांक– 20/11/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **तिरहुत**/जिला पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**/उप विकास आयुक्त, **पूर्वी चम्पारण**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–3** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **मोतिहारी**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **चकिया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/11/19

अपर सचिव